

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

1. AGRICULTURE

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in respect of unskilled category of workers in the Scheduled employment of “**Agriculture**” may be revised with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in Minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the unskilled workers working in the above mentioned scheduled employment @ Rs. 375 per day or Rs. 11,250 per month w.e.f. **01-04-2023**.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed in piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribes Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled worker will be as under:--

- (i) **Unskilled:** An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent

judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh

(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

2. CONSTRUCTION OR MAINTENANCE OF ROADS OR BUILDING OPERATIONS, STONE BREAKING & STONE CRUSHING.

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Construction or Maintenance of Roads or Building Operations, Stone Breaking and Stone Crushing**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948), a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act *ibid*, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f. **01-04-2023** as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Daily	Monthly
1	2	3
UNSKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Bhisthi/Chimny Cleaner/ Chowkidar/ Distemperer Grade-II/Glazier/Helper for Plumber or Workshop/Rock Cutting Labour/Stone Breaker/Stone Chiseler/Sweeper/Spray man for Bitumen/Pipelinemen/Electrical Coolie/Security Guard/Beldar /Cleaner-Tractor, Road Roller & concrete mixer/Majdoor /Survey Boy/ Watchmen/ Tea boy/Peon/Dresser/ Oilmen/Greaser/ Mess helpers/ Boy Helper having experience of (0 to 5 years)/ Khalasi	375	11,250

having experience of (0 to 3 years)/Bill Distributors/ Mucker.

SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-II/ Mason Grade-II/ Sewer Man/Black Smith Grade-II/ Sanitary Fitter Grade-II/Painter/Melter Mate/Sprayman Roads/ Craneman/ Badhani/Upholster /Fitter Attendant/Black Smith/Boatman/ Caneman/ Distempterer Grade-I/Fitter Grade-II/ Flour Polisher/Stone Dresser / Mali/ Well Sinker/ White Washer/ Work Shop Mechanic Grade-II/Turner Grade-II/Pipe Fitter Grade-II/Brick Moulder/Assistant Fitter/ Assistant Fireman/ Assistant Welder/ Assistant turner/ Battery Charger/ Dresser/Qualified /Experienced)/Hammer Man /Cook/ Vulcaniser/ Nozzle Man/ Tunnel Man/ Alloy Trolley Operator/ Attendant (Store Office) Mechanical Attendant/ Tunnel Jublliman/ Tunnel Man / Helper having experience of (5 years and above) Oil Cleaner/Navgani/ Mate/Head Watchman/ Assistant Leveler/Khalasi having experience of (3 to 8 years)/stone Dresser/ Pump Attendant/Auto Electrician Grade-II/ Gardner/ Gauge reader/ Asstt. Lab Attendant/Auto electrician/Motor Mate/ Enquiry Attendant/Telephone Attendant	398	11,950

Stone Dresser/Stone Breaker/Rock Stone Breaker/Stone Crusher 1½ inch to 2 inch = Rs. 2223 per 100 cft 1 to 1¼ inch = Rs. 2480 per 100 cft.

SKILLED WORKERS :	Rupees	Rupees
Carpenter Grade-I/ Mason Grade-I/Black Smith / Sanitary Fitter Grade-I/ Upholster Grade-I/Asstt. Pump Operator/ Pump Operator/ Pump Driver/ Chageman Grade-II/Water Supply Fitter / Carpenter Grade-II/ Compressor Operator/ Compressor Driver/ Darji or Tailor Grade-I/ Darji or Tailor Grade-II/Crasher Driver/ Stone Dresser for ornamental work/ Plumber Grade-I/ Pipe Fitter Grade-I/Auto Driver/ Asstt. Mechanic/ Mixer Driver/ Mixer Operator/ Structural Fitter Grade-II/ Workshop Fitter / Generator Operator/ Generator Driver/ Plant Shop Fitter/ diesel Engine Fitter/ Trolley Line Fitter / Crushing Plant Fitter/ Plant Fitter/ Jack Hammer Fitter/ Electrical fitter/ Bunch Fitter/ Shaper/ Auto Fitter/ Pipe Line Fitter/ refrigerator Plant Fitter/ Tractor Operator/Shaft Minor/ Kochring Operator/Dozer Operator/ Roclain Operator/ Scrapper Operator/ Loader operator/ Crane Operator/ Eucild operator/ Wagon Drill	435	13062

Operator/ Boaring Operator/ SLD crane Operator/ Plant Operator/ Ice Plant Operator or Welder/ Gas Cutter/ turner/ Black Smith/ Tin Smith/ Traction Battery Charger/ Line Man/ Telephone Operator/ Khalssi / Jamadar/ Winder/ Blaster Driller/ Winch Fitter / Compounder/Painter /Miller /Climber/ Moulder/ Levellers/ Saw Mill Cutter/Cable Jointer/Foreman Grade-II/Khalasi having experience of (8 years and above) /Tracer Operator/ E.M.E./Driver/Compressor/Rocker Showel Operator/Snow Cutter Operator /Loco Operator/Driller Mason for Glazed Type work/Work Mistry/Motor Mate / Tractor Driver/Telephone mechanic/D.G. Set Operator/Workshop Foreman Grade-II.

HIGHLY SKILLED	Rupees	Rupees
Carpenter for furniture only/Workshop Mechanic Grade-I/Chargeman Grade-I/Workshop Foreman Grade-I/TurnerGrade-I/Mechanic All Round Operator /Mason/Mistry and Carpenter Mistry/Structural Fitter Grade-I/Surveyor/Draftsman / Assistant Foreman/ Machinist / Compounder (Qualified)/Road Roller Driver/Bulldozer Driver/ Wireman/ Auto Electrician/ Electrician/ Chemical Analyser.	518	15530

Clerical and non Technical Supervisory Staff	Rupees	Rupees
Bituman Tyre Inspector/Road Inspector/Work Inspector/ Store Keeper/ Store Munshi/ Supervisor/Meter Reader/ Ledger Booking Clerk/ Bill Clerk/ Irrigation Booking Clerk/ Patwari/ Complaint Attendant/ Ferro Printer/ Driver (Jeep/Car/Tractor)/ Clerk/ Mechanical Inspector / Assistant Store Keeper/Accounts Clerk/Stenographer.	435	13062

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects in Tribal Areas, an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

- (i) Unskilled:** An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) Semi-skilled:** A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) Skilled:** A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.
- (iv) Highly Skilled:** A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.

7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

11. Asstt. Volcanisor
12. Asst. Painter
13. Asstt. Upholster
14. Asstt. Tyreman
15. Asstt. Sprayman
16. Asstt. Electrician Mechanic
17. Asstt. Retrader
18. Workshop Mazdoor having ITI Certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma
19. Assistant Molders.

SKILLED:

Machanic, Fitter, Blacksmith, Carpenter, Welder, Boring wireman, Machanist, Cusion Maker, Tinsmith, Volcanizer, Painter, Upholster, Tyreman, Spray Painter, Electrician Machanic, Retreader, Moulder, Turner, Workshop Mazdoor having ITI certificate or having 2 years of probation period who has no ITI Diploma. The ITI certificate holders who are working in the same trade. **Rs. 425 per day or Rs. 12749 per month.**

HIGHLY SKILLED WORKSHOP STAFF:

Head Mechanic, Carborator/ Head Electrician/ Garrage Supervisor **Rs. 471 per day or Rs. 14139 per month.**

GENERAL STAFF (CLERICAL) ETC.:

Group-A

Out Agent, Out Agency Clerk, Typist, Steno typist, Store-daybook Writer, Clerk, Assistant Cashier, Booking Clerk (Restorer), Ledger Keeper, Petrol Pump Attendant. **Rs. 425 per day or Rs. 12749 per month.**

Group-B

Chief Inspector, Receptionist, Inspector, Checker, Stenographer A Grade, Station Supervisor, Assistant Store-Keeper A Grade, Accountant, Cashier, Tyre Inspector. **Rs. 447 per day or Rs. 13403 per month.**

Group-C

Head Assistant, Head Clerk, Auditor, Head Cashier. **Rs. 527 per day**
Rs. 15807 per month.

RUNNING STAFF	per day	per month
1.Driver	Rs. 476	Rs. 14288
2.Conductor	Rs. 435	Rs. 13038
3.Cleaner-cum-Conductor	Rs. 407	Rs. 12200
4.Part-Time Booking Clerk	Rs. 261	Rs. 7834

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made/taken by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

4. SHOPS & COMMERCIAL ESTABLISHMENT

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Shops & commercial Establishments**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the Act ibid, the Governor, Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f. **01-04-2023 as under:-**

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rupees	Rupees
Helper/Shop Assistant/ Palledar/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalchi/ Gateman/ Waterman/ Cleaner/ Packer/ Mazdoor/ Lander/ Unlander/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Porter/ Bhishit/ Beldar/ Fireman/ Pandi/ Posterman/ any other worker doing unskilled job.	Rs.375 Daily	Rs 348 Daily
	Rs.11250 Monthly.	Rs. 10429 Monthly
Semi-Skilled	Rupees	Rupees
Head porter/ Pantryman/Coffee-Teamaker/ Chapatiman/	Rs.396 Daily.	Rs. 363 Daily

Assistant Baker/Gate Keeper (Cinema) / Asstt. Lineman **Rs. 11891 Monthly.** **Rs. 10900 Monthly**
 / Assistant Operator/ Binder Assistant/ Bill Collector
 /Convesser / Cook/Assistant Halwai/Book Binder/
 Sticher/ Rulling-cutting/Auctioners /Mali/ Sewerman/
 Hotel Guide/ Assistant Mistry/ Assistant Fitter/
 Assistant Turner/ Assistant Welder/ Assistant
 Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barbar/
 Dhobi/ Pressman/Boilerman/ Film Rewinder/ Waiter/
 Bearer/ Assistant Radio Machanic/Painter/ White
 Washer/Pakora and Chanamaker/Clerk (Non-matric/
 Assistant Store Keeper/ Distributor and Assistant
 Machine man/ Enquiry Attendent/ Telephone Attendent/
 ITI Certificate Holder.

Skilled:	Rupees.	Rupees.
Blacksmith/Tinsmith/Watchmaker/Radio Mechanic/Carpenter/Plumber/Driver/Assistant Tailor/Cutter (Tailoring) /General mechanic/ Halwai/ Cook/ Confectioner/Baker/ Steward/ Butler/ Fitter/ Draughtsman/Telephone Operator/ Compounder / Goldsmith./ Shoe Maker / Shawl-Carpet Weaving/ Compositor/Cinema Operator/ Salesmen/Drycleaner/ Dyer/ Barber/Regular machine man/ machinist/ Welder/ Moulder/ Cashier/Clerk(Matric) Munim/ receptionist/ Waiter/ Bearer / Storekeeper/ headwaiter /Head bearer (Western Style Hotels)/Lineman/ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rs.435 Daily.	Rs. 400 Daily
	Rs.13062 Monthly.	Rs. 12006 Monthly.

Highly Skilled	Rupees.	Rupees.
Store Keeper/ Clerks (Graduates)/ Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/	Rs.453 Daily.	Rs. 419 daily
	Rs.13592 Monthly	Rs. 12580 Monthly

Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring)

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprenticeship Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made/taken by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.

2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

5. FORESTRY INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “Forestry Industries” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04.2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages	
	Daily	Monthly
UNSKILLED WORKERS		
1 Felling of trees:	Rs. 375	Rs. 11250
1.Lopper (Changi)	Rs. 396	Rs. 11891
2.Feller (Garani)	Rs. 383	Rs. 11505
2 Logging and sawing including timber passing:		
1.Dresser (Panchani)	Rs. 383	Rs. 11505
2.Sawyer (Charani)	Rs. 471	Rs. 14139
3.Blacksmith	Rs. 443	Rs. 13276

3 Carriage, stacking and timber passing by manual labour:

1. Mazdoor for carriage	Rs. 383	Rs. 11505
2. Mazdoor for loading and un loading of timber.	Rs. 383	Rs. 11505

4 Carriage of timber by Aerial ropeways :

1.Span Mistry-cum-Supervisor	Rs.471	Rs.14139
2.Span Mistry	Rs. 443	Rs. 13276

5 Carriage by water slide (pucci Nalli), dry slide (Pathru), Nullah Bhaan and Darya Bahaan (River floting):

1. Mohri-wala Mistry	Rs. 505	Rs. 15148
2. Taru	Rs. 485	Rs.14539
3. Asstt. Mistry/ Helper Mistry	Rs. 453	Rs. 13592
4. Darya-man	Rs. 485	Rs. 14539
5. Ghalu	Rs. 412	Rs. 12366
6. Jamadar	Rs. 412	Rs. 12366

6 Mechanised logging and timber extraction:

1.Surveyor	Rs. 474	Rs. 14224
2.Ski-line Operator	Rs. 443	Rs. 13276
3 Truck Driver	Rs. 415	Rs. 12453
4. Compressor Driver	Rs. 415	Rs. 12453

7 Clerical Staff:

1.Manager	Rs. 546	Rs. 16374
2.Accountant	Rs. 421	Rs. 12644
3.Munshi/ Typist clerk	Rs. 383	Rs. 11505

8. Saw Mill Workers:

1. Band Saw Mistry	Rs. 443	Rs. 13276
2. Supervisor	Rs. 438	Rs. 13149
3. Head Mistry	Rs. 443	Rs. 13276
4. Boiler Driver	Rs. 443	Rs. 13276
5. Assistant Mistry	Rs. 389	Rs. 11670
6. Planner Mistry	Rs. 389	Rs. 11670
7. Helper	Rs. 383	Rs. 11505
8. Cutter man	Rs. 383	Rs. 11505

9 Katha Extraction:

1. Feller and Chipper	Rs. 383	Rs. 11505
2. Katha Supervisor/Katha Processor	Rs. 383	Rs. 11481

Highly Skilled

Boiler Attendant (Ist Class) Overseer, Head Foreman= **Rs. 518 Daily. Rs. 15525 Monthly.**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.

5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled worker.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

6. CHEMICAL & CHEMICAL PRODUCTS

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the cheduled employment of “**Chemical & Chemical Products**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act,1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommednded w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised minimum rates
Unskilled	Rs. 375 Daily. Rs. 11250 Monthly.
Semi Skilled	
Assistant Electrician, Assistant Fitter, Assistant Turner, Assistant Welder, Assistant Moulder, Assistant Plant Operator, Assistant Blacksmith, Assistant Copraman, Re-irrigation, Assistant , Jamadar, Eastman, East cultivator, Switch Board Attendant, Wireman, Postalman, Fireman, Oilman, Pumpman Grade-I, Machine Levellor, Selector, Cutter-cum-Market seller, Empular, Hageman, ITI Certificate Holder.	Rs. 387 Daily. Rs. 11601Monthly.
Skilled	
Saltman, Electrician, Fitter, Copperman, Turner, Moulder, Blacksmith, Plant operator, Mason, Carpenter, Assistant Foreman,	Rs. 435 Daily.

Head Jamadar, Boiler Attendant Grade-II, Workshop Foreman, **Rs. 13062 Monthly.**
Electrician Foreman, Engine Driver, Draughtsman, Assistant
Chemist, Machineman, Cashier/Clerk (Matriculate), Salesman,
Receptionist, Typist, Store-keeper I.T.I. certificate holder who are
working in the same trade.

Highly Skilled

Boiler Attendant (First-Class) Overseer, Head Foreman

Rs. 518 Daily.

Rs. 15530 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: -- A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

7. ENGINEERING INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Engineering Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-Skilled

Rs. 375 Daily or

Rs. 11250 Monthly.

Semi skilled

Taper Grade-III, Turner Grade-III, Driller Grade-III, Romer Grade-III, **Rs. 387 Daily or**

Shareman Grade-III, Machine man, Machinist/Operator Grade-III/ Bragar **Rs.11601 Monthly.**

Grade-III, Head Spinning Winder/ Liner Grade-III, Press Operator Grade-III,

Spray Painter Grade-III, Transfer Fixer Grade-III, Assembler Grade-III,

Cobbler, Rubber Rosin Cutter, Tailor Grade-III,

Material Checker, Fitter Frame, Numbering man, Frame

Sender, Electroplater Grade-III, Mopper Grade-III, Grinder Grade-III,

Pickler, Polishman, Buferman, Head Mechanic, Operator Grade-III,

Thread/Roller Operator Grade-III, Book-screw Machine Operator Grade-III, Feeder Grade-III, Dye Maker Grade-III, Welder Grade-III, Tin Smith Grade-III, Pipe Reader, Hammer man Grade-III, Electric Lineman Grade-III, Voucher Inspector Grade-III, Lister Diesel Engine Driver Grade-III, Oilman.

Skilled

Taper Grade-II, Turner Grade-II, Driller Grade-II, Shaper Grade-II, Shaperman Grade-II, Slaughterman Grade-II, Mechanist/ Operator/Brager Grade-II, Liner Grade-II, Spray Painter Grade-II, Transfer Mixer Grade-II, Press Operator Grade-II, Assembler Grade-II, Tailor Grade-II, Electroplater Grade-II, Moper Grade-II, Grinder Grade-II, Head Machine Operator-II, Thread and Roller Machine Operator Grade-II, Book screw Machine Operator Grade-II, Gold Draw Machine Operator Grade-II, Fitter Grade-II, Carpenter/Pattern Maker Grade-II, Dye Maker Grade-II, Saister Grade-II, Welder Grade-II, Tinsmith Grade-II, Hammerman Grade-II, Blacksmith Grade-II, Tool Setter Grade-II, Electrical Lineman Grade-II, Electrician Grade-II, Armature Winder and Coil winder Grade-II, Cable Jointer Grade-II, Voucher Inspector Grade-II, Lister Diesel Engine Driver Grade-II, Moulder Grade-II, Supervisor, ITI Certificate Holder who are working in the same trade.

Rs. 435 Daily.

Rs.13062 Monthly

Highly Skilled

Turner Grade-I, Grinding Machine Operator Grade-I, Shaper man Grade-I, Slaughterman Grade-I, Miller Grade-I. Electroplater Grade-I, Gold Draw Machine Operator Grade-I, Fitter Grade-I, Carpenter/Pattern Maker Grade-I, Dye maker Grade-I, Engraver Grade-I, Blacksmith Grade-I, Dye Setter Grade-I, Tool Setter Grade-I, Electrician Grade-I,

Rs. 518 Daily.

Rs.15530 Monthly.

Clerical Staff

Cashier (Matriculate) Clerk, Salesman, Typist Storekeeper

Rs. 402 Daily.

Rs.12074 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled workers will be as under:-

(i)Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi -skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii)Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.

3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

8. TEA PLANTATION

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Tea Plantation**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 of the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised Minimum Wages
Field workers in Tea Plantation employed on plantation up rooting, spraying, manufacturing, shade lopping, hoeing, pruning weeding, plucking etc. known as unskilled workers employed in the operation;	Rs. 375 Daily or Rs. 11250 Monthly.

A-Grade Leaves -- If plucker plucks more than 12 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 27 per kilogram extra as incentive.

B Grade Leaves If plucker plucks more than 13 kilogram of tea leaves he or she will get Rs. 21 per kilogram extra as incentive.

C-Grade Leaves- If plucker plucks more than 16 kilogram of tea leaves he or she will get Rs 16 per kilogram extra as incentive.

The piece rates workers employed for plucking will get Rs. 27, Rs. 21 Rs. 16 per kilogram for A,B,C grade of tea leaves respectively.

SEMI-SKILLED: Workers engaged in Tea Factory & Tea Plantations. **Rs. 381** per day, **Rs. 11441** per month

FACTORY:

Include lift Mazdoor, withering Mazdoor,	Rs. 375 daily
relling room workers, shifting Mazdoor,	Rs. 11250 Monthly.
Fermenting room workers, tea boys,	
sorters, tea makers, time keeper and carriers (jhalli)	

PLANTATION:

Cleaners, Assistant Cleaner, Garden Assistant,	Rs. 375 daily
Muharirs etc. who maintain records of a field work	Rs. 11250 Monthly.
and also includes sweeper, Mali & Mate.	

CLERICAL AND NON-TECHNICAL SUPERVISORY STAFF

OFFICE STAFF:

1. Accountant	Rs. 573	Rs. 17197 per month plus free accommodation
2. Clerks	Rs. 435	Rs. 13062 per month plus free accommodation
3. Munshi	Rs. 456	Rs. 13690 per month plus free benefits as admissible to clerk
4. Peon ,Chowkidar/Chaudhary	Rs. 381	Rs. 11441 per month plus free benefit as admissible.
		Daily Monthly
5. Compounder		Rs. 531 Rs. 15930
6. Driver (Jeep/ Car/ Tractor)		Rs. 476 Rs. 14288
7. Mechanic		Rs. 535 Rs. 16059

8. Assistant Mechanic	Rs. 474	Rs. 14224
9. Electrician-cum- Mechanic Grade-I	Rs. 535	Rs. 16059
10. Electrician-cum- Mechanic Grade-II	Rs. 474	Rs. 14224

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semi-skilled worker will be as under:-

(i)Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii)Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment, skill and but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P

5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

**9. ESTABLISHMENTS WITH MANUFACTURING PROCESS AS DEFINED
IN CLAUSE (K) OF SECTION-2 OF FACTORIES ACT, 1948**

Whereas the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Manufacturing Process as Defined in Clause (K) of Section 2 of Factories Act, 1948**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 375 per day or Rs. 11250 per month
Semi-skilled	Rs. 386 per day or Rs. 11601 per month
Skilled & clerical staff	Rs. 435 per day or Rs. 13062 per month
Highly-Skilled	Rs. 518 per day. or Rs. 15530 per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

10. HOTEL AND RESTAURANTS

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hotel and Restaurants**” may be revised in respect of un-skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provision of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Revised Wages	
	Where no benefit is provided	Where food, tea and combined accommodation provided
1	2	3
UN-SKILLED:	Rupees	Rupees
Helper/ Chowkidar/ Peon/ Sweeper/ Masalachi/ Gateman/ Waterman/ Messenger/ Clock Room Attendant/ Poter/ Bhishti/ Beldar/Fireman/ Pandi/ Posterman/ any worker doing un-skilled job.	Rs. 375 Daily	Rs. 348 Daily
	Rs. 11250 Monthly	Rs. 10429 Monthly
SEMI-SKILLED WORKER:	Rupees	Rupees

Pantryman /Coffee-Tea Maker/ Chapatiman / Assistant Baker/Cook/ Assistant Halwai/Book Binder/ Sticher /Ruling Cutting/ Auctioners /Mali /Hotel Guide /Assistant Mistry/ Assistant Fitter/ Sewerman/ Assistant Turner /Assistant Welder/ Assistant Electrician/ Assistant Salesman/ Assistant Barber/ Dhobi/ Pressman/Boilerman/Film Rewinder/ Water Bearer /Assistant Radio Mechanic/ Painter/ White Washer/ Pakora and Chana Maker/Clerk (Non-Matric)/ Assistant Store Keeper/Distributor and Assistant Machinman/ Enquiry Attendant/ Telephone Attendant/ ITI certificate holder who are working in the other trade.	Rs. 396 Daily Rs. 11890 Monthly	Rs 364 Rs. 10932 Monthly.
---	--	--

SKILLED WORKERS :

Driver/Halwai/Cook/Confectioner/Baker/St eward/Butler/Draughtsman/TelephoneOpera tor/Receptionist/Waiter/Bearer/Store Keeper/Head Waiter/Head Bearer (Western Style Hotel.) ITI certificate holder who are working in the same trade.	Rupees. Rs. 435 Daily Rs. 13062 Monthly.	Rupees. Rs. 400 Daily Rs. 12006 Monthly.
--	---	---

Highly Skilled

Store Keeper/ Clerks (Graduates) Accountant /Head Cashier/ Head Cook/ Head Butler/Head Baker/ Head Confectioner/Head mechanic/ Electrician/ Foremen/ Supervisor/ Tailor/Cutter (Tailoring)	Rupees. Rs. 453Daily Rs. 13592 Monthly.	Rupees. Rs. 419 Rs. 12580 Monthly.
---	--	---

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.

2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.

6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

11. PRIVATE EDUCATIONAL INSTITUTES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Private Educational Institutes**” may be revised in respect of un skilled and other categories of workers with effect from **01-04-2023** ;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-skilled Workers	Rs. 375 per day or Rs. 11250 per month
Semi-skilled	Rs. 396 per day or Rs. 11891 per month
Skilled	Rs. 435 per day or Rs. 13062 per month
Highly skilled	Rs. 453 per day or Rs 13592 per month

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices shall be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

12. Hydro Power Projects

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hydro Power Projects**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers

Minimum Wages

Daily Monthly

UN-SKILLED WORKERS :

Rs.

Rs.

Peon, Helper to Pump Operator, Helper to Concrete Pump Operator, Pump Attendant, Helper to JWR Crane Operator, Helper to Plant Operator, Helper to Excavator Operator, Helper to Concreting Plant Operator, Helper to Loader Operator, Helper to TAMROCK Operator, Helper to Mechanic, Helper to Turner, Helper to Electrician, Helper to Auto Electrician, Helper to Welder, Helper to Fitter, Helper to Carpenter, Helper to Heavy Motor Vehicle Driver, Helper to Khalasi, Compressor Attendant, Generator Attendant, TM Attendant, Helper to Concrete Mixture Plant Operator, Helper to Fireman, Helper to Stone Dresser,

375

11250

Helper to Head Watchman, Helper to Laboratory Assistant, Helper to Gauge Reader, Helper to Time Keeper, Helper to Diesel Generator Set Operator, Helper to Generator Operator, Helper to Wireless Operator, Helper to Engine Fitter, Helper to Diesel Engine Fitter, Helper to Pipe Fitter, Helper to Pujari, Cleaner-cum-Beldar, Washerman, Washermaid, Office Boy, Clay Cleaner, Helper Boomer, Helper to Automobile Fitter, Masalchi, Air Conditioning Plant Helper, Helper to Supervisor, Mess Helper, Sweeper.

SEMI-SKILLED WORKER:

Junior Pump Operator, Junior Concrete Pump Operator, Junior JWR Crane Operator, Junior Plant Operator, Junior Nozzleman, Junior Excavator Operator, Junior Concreting Plant Operator, Junior Loader Operator, Junior TAMROCK Operator, Junior Mechanic, Junior Auto Electrician, Junior Welder, Junior Fitter, Junior Tyre Fitter, Junior Painter, Junior Plumber, Junior Denter, Junior Carpenter, Security Guard, Khalasi(3 Years Experience), Junior Compressor Attendant, Generator Attendant, Locomotive Attendant, Concrete Mixture Attendant, Assistant Fireman, Stone Dresser, Laboratory Assistant, Gauge Reader, Time Keeper, Diesel Generator Set Operator, Generator Operator , Wireless Operator, Junior Diesel Engine Fitter, Junior Pipe Fitter, Telephone Attendant, Assistant Surveyor, Office Attendant, Junior Oiler, Junior Driller, Junior JCB Operator, Junior Scrapper, Pujari, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Junior Elctrician, Mali **398 11950**

SKILLED WORKERS :

Dozer Operator, Grader Operator, Loader Operator, Batching Plant Operator, Crushing Operator, Excavator Operator, CMT Crane Operator, 26 Tonne Dumper Operator, Plant Operator, Gantry Operator, JCB Operator, Locomotive Operator, **435 13062**

Tamrock/Jambo Operator, Mechanic, Turner, Welder, Driller, Nozzleman, Fitter, Steel Fixer, Blacksmith, Blaster, Carpenter, Auto Electrician, Painter, Denter, Mason, Plumber, Bar Binder, Tyre Fitter, CMT Operator, AC Plant Operator, Merlo Operator, Work Inspector, Supervisor, Camp-Incharge, Non Technical Supervisor(Mining Blasting), Driver, Mobile Crane Operator, Bacoh Operator, Hydro Crane Operator, Surveyor, Scrap Operator, Bobcat Operator, Scoop Operator, Garroting Pump Operator, Morter Binder, Data Entry Operator, Cashier, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Cook, Khalasai(more than 5 years Experience) and Dhobi.

HIGHLY SKILLED

Senior Crane Operator, Senior Batching Plant Operator, Senior Trailer Operator, Senior Dumper Operator, Tunnel Boring Machine Operator, Senior Plant Operator, Senior Heavy Earth Moving Machine Operator, Senior Dozer Operator, Senior Loader Operator, Senior CE Plant Operator, Senior Carpenter, Senior Mechanic, Senior Driller, Senior Black Smith, Senior Electrician, Senior Bar Binder, Senior Auto Electrician, Senior Fitter, Senior Tyre Fitter, Senior Turner, Senior Welder, Senior Denter, Driver (Heavy Transport Vehicle), Tower Crane Operator, Senior Welder X-Ray, Cable Jointer, Senior Blaster, 40 Tonne Dumper Operator, Senior Jumbo Operator, Foreman, Gunman, Senior A.C Plant Operator, Workshop Mechanic, Compounder, Chemical Analyser, Laboratory Assistant, Pharmacist, Nurse, Stenographer, Accountant, Khalasi (Above 8 Years Experience) **518** **15530**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of Apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.

4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

Sample Calculation of Minimum Rates of Wages is given as below:

	Category of Worker	Minimum Rates of Wages (per day) (Rs.)	Admissibility of 25% increase in Under-Construction Hydro Electric Power Projects Located in Non-Tribal Areas (per day) (Rs.)	Total Wages arrived at as per column no. 3+4 (per day) (Rs.)	Admissibility of 20% Tunnel Allowance over and above the Minimum Rates of Wages as per the column no. 5 (per day) (Rs.)	Total admissibility of Minimum Wages (per day) (Rs.)
1.	2.	3.	4.	5.	6.	7.
(A)	Unskilled	375	94	469	94	563
(B)	Semi-Skilled	398	100	498	100	597
(C)	Skilled	435	109	544	109	653
(D)	Highly-Skilled	517	129	647	129	777

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as under:-

- (i) **Unskilled:** An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.
- (ii) **Semi-skilled:** A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.
- (iii) **Skilled:** A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

**No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the
Copy for information and necessary action to:-**

07-07-2023

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023.

13. PHARMACEUTICALS' INDUSTRIES

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Pharmaceuticals' Industries**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Minimum	Wages
	Daily	Monthly
Unskilled		
Packing Helper, Machine Helper, Laboratory Helper, Store Helper, House Keeping Helper, Peon.	Rs. 375	Rs. 11250
Semi Skilled		
Technician (D.Pharma), Fitter (ITI), Maintenance (ITI), PW-Operator, Mali, Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant.	Rs. 387	Rs. 11601
Skilled		
Officer (B.Pharma), Technical Supervisor (ITI Diploma, D Pharma), Operator, Security Supervisor, Electrician,	Rs. 435	Rs. 13062

Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled:-

Sales Officer, Sales Executive, Sales Promotion Employee, **Rs. 518** **Rs. 15530**
Medical and Sales Representatives, B.Pharm, Accountant B.Sc.
Chemist, M.Sc. Chemist and Stenographer.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgment and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

14. Hospitals/Nursing Homes & Clinics

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Hospitals/Nursing Homes & Clinics**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**.

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs.	Rs.
Helper, Cleaner, Chowkidar, Watchman, Peon, Room Boy, Office Boy and Masalchi.	375 Daily 11250 Monthly.	348 Daily 10429 Monthly
Semi-Skilled	Rs.	Rs.
Clinic Attendant, Assistant Laboratory Technician, Security Sweeper, Operation Theatre Assistant, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Complaint Attendant, Ward Boy and	396 Daily. 11891 Monthly	363 Daily. 10900 Monthly.

Ward Attendant (0-3 Years Experience)

Skilled:	Rs.	Rs.
Receptionist, Pharmacist, Compounder, Laboratory Technician, X-Ray Technician, ANM, Trained Dai, Electrician, Radio Grapher, ECG Operator, X-Ray Dark Room Assistant, Oven Operator, Oxygen Plant Operator, Heating Plant Controller Assistant, Driver, CSSD Assistant, Operation Theatre Technician, Eye Refractionist, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator, Cashier, Fitter, Plumber, Supervisor, Cook, Dhobi, Ward Boy and Ward Attendant (above 3 years experience)	435 Daily	400 Daily
	13062 Monthly	12006 Monthly.

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Staff Nurse, Security Supervisor, Senior Electrician, Senior Technician, Senior Radiographer, Senior Compounder, Accountant and Stenographer	453 Daily.	419 Daily
	13592 Monthly	12580 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent

judgement or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

15. Domestic Workers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Domestic Workers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of employees	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Unskilled	Rs.	Rs.
Helper, Aya, Cleaner, Masalchi, Watchman and Washer man	375 Daily 11250 Monthly.	317 Daily. 9514 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Security Guard and Mali	396 Daily. 11891 Monthly	329 Daily, 9864 Monthly.
Skilled:	Rs.	Rs.
Cook and Driver	435 Daily. 13062 Monthly	350 Daily 10508 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgement and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.

4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

16. Safai Karamchari Employment

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Safai Karamchari Employment**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of Workers	Minimum Wages	
	Daily	Monthly
Unskilled:- Sweeper/Safai Karamchari, Beldar and Cartman,	Rs. 375	Rs. 11250
Semi Skilled		
Work Supervisor, Sanitary Jamadar, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 387	Rs. 11601
Skilled		
Driver, Mason, Plumber, Storekeeper, Accounts Clerk,	Rs 435	Rs. 13062

Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.

Highly Skilled

Jr. Engineer, Sanitary Inspector and Stenographer, **Rs. 518** **Rs. 15530**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(IV). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

17. Security Services

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Security Services**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II, dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09.05.2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Un-Skilled	Daily	Monthly
Helper and Watchman	Rs. 375	Rs. 11250
Semi skilled		
Security Guard, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and Complaint Attendant.	Rs. 387	Rs. 11601
Skilled		
Security Supervisor, Head Watchman, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	Rs. 435	Rs. 13062

Highly Skilled

Security Officer, Security Manager,

518

Rs. 15530

Stenographer and Accountant.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961 (No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 20% increase will be admissible over and above the minimum rates of wages to the workers working inside the tunnels.
6. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum rates of wages in different categories of workers working in 'Under Construction Hydro- Electric Power Projects' located in Non- Tribal Areas.
7. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh. In case of workers working in the Under Construction Hydro- Electric Power Projects' in Tribal Areas an additional 10% increase shall be applicable.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Skilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv). Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)
Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)
Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

18. Temples and Religious Places/Dharamshalas

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Temples and Religious Places/Dharamshalas**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

Category of workers	Where no benefit is provided	Where food, tea & combined accommodation provided
Un skilled	Rs	Rs
Peon, Masalchi, Office Boy and Beldar.	375 Daily	348 Daily
	11250 Monthly	10429 Monthly.
Semi-Skilled	Rs	Rs
Chapatiman, Sweeper, Room boy, Junior Guest	396 Daily	363 Daily
Attendant, Temple Attendant, Bhog Room Attendant, Hall Attendant, Sewadar, Security Guard, Mali, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi and	11891 Monthly	10900 Monthly

Complaint Attendant.

Skilled:	Rs.	Rs.
Senior Guest Attendant, Receptionist, Pujari, Pandit,	435 Daily	400 Daily
Cook, Maulvi, Granthi, Padri, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier.	13062 Monthly	12006 Monthly

Highly Skilled	Rs.	Rs.
Supervisor, Superintendent, Ragi, Bajantri, Bhajan	453 Daily.	419 daily
Singer, Stenographer, and Accountant.	13592 Monthly	12580 Monthly.

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non-adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961)
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25 % increase shall be applicable over and above the minimum of wages in Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally of defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important

decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

(Authoritative English Text of this Department Notification No. Shram (A)4-2/2018-P-II dated 2023 as required under clause (3) of article 348 of the Constitution of India.)

**GOVERNMENT OF HIMACHAL PRADESH
DEPARTMENT OF LABOUR & EMPLOYMENT**

NOTIFICATION

No. Shram (A)4-2/2018-P-II

Dated Shimla-2, the

07-07-2023

19. Workers Working in Toll Tax Barriers

Whereas, the Governor, Himachal Pradesh is of the opinion that the minimum rates of wages in the scheduled employment of “**Workers Working in Toll Tax Barriers**” may be revised in respect of unskilled and other categories of workers may be fixed with effect from **01-04-2023**;

And whereas, as per provisions of clause (a) of sub-section (1) of section 5 9 of the Minimum Wages Act, 1948 (Act No. 11 of 1948) a Minimum Wages Advisory Committee was constituted vide Notification No: Shram (A) 4-2/2018-P-II dated 24-04-2023;

And whereas, a meeting of the said committee was held on **09-05-2023** wherein increase in minimum wages payable to all the categories of workers in all the 19 scheduled employments were approved and recommended w.e.f. **01-04-2023**;

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 5 the said Act, the Governor of Himachal Pradesh is pleased to revise the minimum wages of the workers working in the above mentioned scheduled employment w.e.f **01-04-2023** as per recommendations of the said committee as under:-

	Minimum Daily	Wages Monthly
Un-skilled Workers :-		
Peon, Office Boy and Masalchi.	Rs. 375	Rs. 11250

Semi-skilled:-

Helper Cook, Cash Collector, Assistant Storekeeper, Assistant Store Munshi, Security Guard and Complaint Attendant.	Rs. 387 per day or Rs. 11601per month
---	--

Skilled:-

Electrician, Storekeeper, Accounts Clerk, Clerk, Computer Operator, Data Entry Operator and Cashier. **Rs. 435 per day or Rs. 13062 per month**

Highly-Skilled:-

Supervisor, Superintendent, Stenographer and Accountant. **Rs. 518 per day or Rs. 15530 per month**

NOTE:-

1. There will be no distinction between the minimum wages of male or female and adult or non adult for the same and similar nature of work.
2. Wages of apprentices are to be regulated under the Apprentices Act, 1961(No. 52 of 1961).
3. Where any class of work is performed on piece work basis, the wages shall not be less than the time rate prescribed for that category.
4. If any category of workers employed in the scheduled employment is not mentioned specifically, such category of workers shall not be paid less than the minimum rates of wages fixed for the similar category having the same skill.
5. 25% increase shall be applicable over and above the minimum wages in the Scheduled Tribal Areas in Himachal Pradesh.

The definition of unskilled/semiskilled/skilled/highly skilled worker will be as:-

(i) Unskilled: An unskilled worker is one who does operations that involve the performance of simple duties, which require the experience of little or no independent judgment or previous experience although familiarity with the occupational environment is necessary. His work may thus require in addition to physical exertion familiarity with variety of articles or goods.

(ii) Semi-skilled: A semiskilled worker is one who does work generally defined routine nature wherein the major requirement is not so much of the judgement and skill but for proper discharge of duties assigned to him or relatively narrow job and where important decisions are made by others. His work is thus limited to the performance of routine operations of limited scope.

(iii) Skilled: A skilled worker is one who is capable of working efficiently of exercising considerable independent judgment and of discharging his duties with responsibility. He

must possess a thorough and comprehensive knowledge of the trade, craft or industry in which he is employed.

(iv) Highly Skilled: A highly skilled worker is one who is capable of working efficiently and supervises efficiently the work of skilled workers.

By order,

(Akshay Sood)

Secretary (Lab. & Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh.

No. Shram (A)4-2/2018-P-II Dated Shimla-2, the

07-07-2023

Copy for information and necessary action to:-

1. All the Administrative Secretaries to the Govt. of H.P. Shimla.
2. The Addl. LR-cum-Addl. Secretary (Law) to the Govt. of H.P. Shimla-2.
3. The Principal Private Secretary to Hon'ble Chief Minister, H.P.
4. The Sr. Private Secretary to Hon'ble Labour & Employment Minister H.P.
5. The Sr. Special Private Secretary to Chief Secretary to Govt. of H.P.
6. The Director, Labour Bureau, GOI, Shimla-171004, H.P.
7. All the Head of Departments, Himachal Pradesh.
8. The Labour Commissioner-Cum-Director of Employment, H.P., Shimla-171001 w.r.t his letter No. 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III dated 09-06-2023.
9. All the Deputy Commissioners, Himachal Pradesh.
10. Guard File.

(Dinesh Kumar Gupta)

Under Secretary (Lab.&Emp.) to the
Government of Himachal Pradesh
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

1. कृषि

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि **कृषि** के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत अकुशल कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से **375 रूपए प्रतिदिन या 11250 रूपए प्रतिमास** की दर से संशोधित करते हैं:-

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी शिक्षु अधिनियम, 1961 (1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहां किसी वगीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया जाता हो, वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. हिमाचल प्रदेश के जन-जातीय क्षेत्रों में, मजदूरी की न्यूनतम दरों से पच्चीस प्रतिशत अधिक की बढ़ौतरी/वृद्धि लागू होगी ।

अकुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी: -

(i) अकुशल: अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिसमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव या कोई स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव की बहुत आवश्यकता नहीं पड़ती, यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक होता है ।

अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा, उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07-07-2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला ।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार ।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश ।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश ।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

2. सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाएं पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई (क्रशिंग)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि सडकों का निर्माण या रखरखाव या निर्माण संक्रियाओं, पत्थर तुड़ान और पत्थर पिसाई/(क्रशिंग) के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2023 से लागू करने की सिफारिश की गई थी ।

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

1	2	3
कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
भिशाती/चिमनी क्लीनर/चौकीदार/डिस्टैम्पर ग्रेड-II/ गलेजियर/पलम्बर या वर्कशाप के लिए हैल्पर/रोक कटिंग लेबर/स्टोन ब्रेकर/स्टोन चिस्लर/स्वीपर/ बिटुमेन के लिए स्प्रे मैन्/पाइप लाइन मैन् /इलैक्ट्रिकल कुली /सिक्वोरिटी-गार्ड /बेलदार/ क्लीनर ट्रैक्टर एव रोड़ रोलर व कंकरीट मिक्सर/ मजदूर/ सर्वे बॉय/ वाचमैन / टी बॉय / पीअन (चपरासी)/ ड्रेसर / आयल मैन् / ग्रीसर / मैस हेल्पर्ज / बॉय हैल्पर (0 से 5 वर्ष के अनुभव वाले) /खलासी (0 से 3 वर्ष के अनुभव वाले) / बिल डिस्ट्रीब्यूटर/ मक्कर ।	375	11250
अर्धकुशल कर्मकार:	रुपए	रुपए
कारपेन्टर ग्रेड-II/ मैसन ग्रेड- II / स्यूअर मैन् / ब्लैक स्मिथ ग्रेड- II / सैनिटरी फिटर ग्रेड- II / पेन्टर/मैल्टर मेट/ स्प्रे-मैन् रोडज/ क्रेन-मैन्/बधाणी / अपहोलस्टर / फिटर एटैन्डेन्ट/ ब्लैक स्मिथ (बोट मैन्) / क्रेन-मैन् / डिस्टैम्पर ग्रेड-I/फिटर ग्रेड-II फलोर-पॉलिशर/ / स्टोन ड्रेसर /माली / वैल-सिंकर / वहाइट-वाशर/ वर्कशाप	398	11950

मैकेनिक ग्रेड-II, टर्नर-ग्रेड- II / पाइप फिटर ग्रेड- II / ब्रिक मोल्डर / सहायक फिटर / सहायक फायर मैन / सहायक वैलडर / सहायक टर्नर/ बैटरी चार्जर / ड्रैसर (अर्हित/अनुभवी) / हैमरमैन/कुक / वल्कनाइज़र/नोजल मैन / टनल मैन / एलॉए ट्रौली ऑपरेटर / एटैन्डेन्ट (स्टोर आफिस)/मकैनिकल एटैन्डेन्ट / टनल जुबली मैन / टनल-मैन / हैल्पर (5 वर्ष और इससे अधिक का अनुभव वाले)/ आयल-क्लीनर / नावगाणी / मेट / हैड-वाचमैन / सहायक-लैवलर / खलासी (3 से 8 वर्ष व इससे अधिक का अनुभव वाले) / स्टोन-ड्रैसर / पम्प-एटैन्डेन्ट /ऑटो इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II / गार्डनर / गेज-रीडर / सहायक लैब एटैन्डेन्ट /ऑटो इलेक्ट्रिशियन / मोटर-मेट / इनक्वाअरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट/स्टोन ड्रैसर / स्टोन-ब्रेकर / राक कैरियर ब्रेकर / स्टोन-क्रशर

1 ½ इंच से 2 इंच
2223 रुपए प्रति सौ घन फुट
1 इंच से 1¼ इंच रुपये
2480 रुपए प्रति सौ
घन फुट

कुशल कामगार:

कारपेन्टर ग्रेड- I/ मैसन ग्रेड- I/ ब्लैक स्मिथ / सेनेटरी फिटर ग्रेड- I/अप-होलसल्टर ग्रेड- I / सहायक पम्प ऑपरेटर / पम्प ओपरेटर / पम्प ड्राइवर / चार्जमैन ग्रेड.- II / जल आपूर्तिफिटर/ कारपेन्टरग्रेड- II / काम्प्रेसर आपरेटर / काम्प्रेसर ड्राइवर / दर्जी या टेलर ग्रेड-I / दर्जी या टेलर ग्रेड- II / क्रशर ड्राइवर/ अलंकारिक कार्य के लिए स्टोन-ड्रैसर / पलम्बर ग्रेड- I / पाइप फिटर ग्रेड- I/ऑटो ड्राइवर / सहायक मकैनिक / मिक्सर ड्राइवर / मिक्सर-आपरेटर / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I / वर्कशाप फिटर/ जनरेटर आपरेटर / जनरेटर-ड्राइवर / प्लांट शाप फिटर / डीजल इंजन फिटर / ट्राली लाइन फिटर / कशिग प्लांट फिटर / प्लांट फिटर / जैक हैमर फिटर / इलेक्ट्रीकल फिटर / बन्च फिटर / शेपर / ऑटो फिटर / पाइप लाइन फिटर / रेफ्रीजरेटर प्लांट फिटर / ट्रेक्टर-ऑपरेटर/ शाफ्ट माइनर / कोचरिंग ऑपरेटर / डोजर ऑपरेटर / रोकलेन ऑपरेटर / सक्केपर-ऑपरेटर / लोडर ऑपरेटर / केन-ऑपरेटर / युकलिड-ऑपरेटर / वैगन ड्रिल-ऑपरेटर / बोरिंग-ऑपरेटर / एस.एल.डी. केन ऑपरेटर/ प्लांट-ऑपरेटर / आइस प्लांट ऑपरेटर या वैलडर / गैस कटर / टर्नर / ब्लैक स्मिथ / टिन स्मिथ / ट्रैक्शन वैटरी चार्जर / लाइनमैन टेलीफोन ऑपरेटर/खलासी/जमादार / वाइन्डर/ब्लासटर ड्रिलर / विन्च फिटर/कम्पाउन्डर/पेन्टर / मिलर / क्लाइमबर / मोल्डर / लेवलरज साँ मिल कटर/केबल जाइन्टर/ फोरमैन ग्रेड-II / खलासी (8 वर्ष और इसस अधिक के अनुभव वाले) / ट्रेसर ऑपरेटर / ई.एम.ई. / ड्राइवर / कम्प्रेसर/ रौकर शोवेल ऑपरेटर / स्नो कटर

रु. पै. रु. पै.
435 13062

ऑपरेटर / लोको-ऑपरेटर/ गलेजड-टाइपड कार्य के लिए ड्रिलर मैसन /
वर्क-मिस्त्री / मोटर-मेट / ट्रैक्टर ड्राइवर / टेलीफोन मकैनिक /
डी.जी.सेट ऑपरेटर / वर्कशाप फोर मैन ग्रेड-III.

उच्च कुशल

	रु०. पै०.	रु०. पै०.
केवल फर्नीचर के लिए कारपेन्टर / वर्कशाप मकैनिक ग्रेड-I / चार्ज मैन ग्रेड-I / वर्कशाप फोरमैन ग्रेड-I / टर्नर ग्रेड-I/ मकैनिक आल राउन्डर आपरेटर / मैसन/मिस्त्री और कारपेन्टर मिस्त्री / संरचनात्मक फिटर ग्रेड- I/ सर्वेयर / ड्राफ्टसमैन / सहायक फोरमैन / मशीनिस्ट/ कम्पाउन्डर (अर्हित) / रोड रोलर ड्राइवर / बुलडोजर ड्राइवर/ वायरमैन / ऑटो इलेक्ट्रिशियन/ इलेक्ट्रिशियन / कैमिकल एनालाइजर ।	518	15530

लिपिक और गैर तकनीकी पर्यवेक्षण स्टाफ:

	रुपए	रुपए
बिटुमैन टायर इन्सपैक्टर / रोड इन्सपैक्टर / वर्क इन्सपैक्टर / स्टोर-कीपर / स्टोर-मुंशी/ सुपरवाइजर / मीटर -रीडर / लैजर बुकिंग कलर्क / बिल-क्लर्क / इरीगेशन बुकिंग कलर्क / पटवारी / कम्प्लेंट एटैन्डेन्ट / फैंरो-प्रिन्टर / ड्राइवर (जीप/ कार/ट्रेक्टर) / क्लर्क / मैकेनिकल इंसपैक्टर / सहायक स्टोर कीपर / लेखा-लिपिक / स्टेनोग्राफर ।	435	13062

टिप्पणी:-

1. समान और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुज्ञेय होगी।
6. गैर जन-जातीय क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो इलेक्ट्रिक जल विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों को मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी/लागू होगी।
7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणधीन हाईड्रो इलेक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत से भी बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसे कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

3. लोक मोटर परिवहन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "लोक मोटर परिवहन" के अनुसूचित नियोजन के अर्न्तगत अकुशल कर्मकारों और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों का 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2023 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

सामान्य अकुशल कर्मचारिवृन्द (जनरल स्टाफ):

375 रुपए प्रतिदिन	11250 रुपए प्रतिमास
----------------------	------------------------

(क) चपरासी, चौकीदार, स्टोर-हैल्पर, स्वीपर, पोर्टर तथा दफ्तरी

(ख) वर्कशाप-स्टाफ (अकुशल)

(ग) वर्कशाप मजदूर, जिसका कोई अनुभव नहीं है ।

अर्ध-कुशल

389 रुपए प्रतिदिन	11670 रुपए प्रतिमास
----------------------	------------------------

1. सहायक इलेक्ट्रिशियन
2. सहायक मकैनिक
3. सहायक फिटर
4. सहायक ब्लैक स्मिथ
5. सहायक कारपेंटर

6. सहायक वैल्डर
7. सहायक टर्नर
8. सहायक बोरिंग बारमैन
9. सहायक मशीनिस्ट
10. सहायक कुशन-मेकर
11. सहायक बोलकेनाइजर
12. सहायक पेंटर
13. सहायक अपहोलस्टर
14. सहायक टायरमैन
15. सहायक स्प्रेमैन
16. सहायक इलैक्ट्रिशियन मकैनिक
17. सहायक रिट्रीडर
18. वर्कशाप मजदूर जिसके पास आई.टी. आई का सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षा अवधि हो और जिसके पास कोई आई0टी0आई0 का डिप्लोमा न हो
19. सहायक मोल्डर ।

कुशल-:

मकैनिक, फिटर, ब्लैक स्मिथ, कारपेन्टर, वैल्डर, बोरिंग-वायरमैन, मशीनिस्ट, कुशन मेकर, टिनस्मिथ, वालकेनाइजर, पेंटर, अपहोल्सटर, टायरमैन स्प्रे पेंटर, इलैक्ट्रिशियन, मकैनिक, रिट्रीडर, मोल्डर, टर्नर, । वर्कशॉप मजदूर जिसके पास आई.टी.आई. सर्टिफिकेट हो या जिसकी दो वर्ष की परिवीक्षरा अवधि हो और जिसके पास आईटीआई का डिप्लोमा न हो। आईटीआई सर्टिफिकेट धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

रु 425 प्रतिदिन या
रु. 12749 प्रतिमास

उच्च कुशल वर्कशाप स्टाफ

हैड मकैनिक, कारबोरेटर / हैड इलैक्ट्रिशियन / गैरेज सुपर वाइजर।

रु0 471 प्रतिदिन या
रु. 14139 प्रतिमास

जनरल स्टाफ (क्लैरिकल) आदि

ग्रुप -ए :

आउट ऐजेंट, आउट एजेंसी क्लर्क, टाइपिस्ट, स्टैनो टाइपिस्ट, स्टोर डे बुक-राइटर, क्लर्क, सहायक कैशियर, बुकिंग-क्लर्क (रिस्टोरर) लैजर कीपर, पेट्रोल पम्प अटैन्डेन्ट ।

रु0 425 प्रतिदिन या
रु. 12749 प्रतिमास

ग्रुप-बी:

मुख्य-निरीक्षक, रिसेप्शनिस्ट, निरीक्षक, चैकर, आशुलिपिक ए ग्रेड, स्टेशन सुपरवाइजर, सहायक स्टोरकीपर ए ग्रेड, लेखाकार, कैशियर, टायर-निरीक्षक |
रु 447 प्रतिदिन या
रु. 13403 प्रतिमास

ग्रुप-सी:

हैड एसिस्टैण्ट / हैड-क्लर्क, ऑडिटर / हैड-कैशियर ।

रु0 527 प्रतिदिन
रु. 15807 प्रतिमास

रनिग-स्टाफ:

1 ड्राइवर

रु0 476 प्रतिदिन
रु.14288 प्रतिमास

2 कन्डकटर

रु0 435 प्रतिदिन
रु. 13038 प्रतिमास

3 कलीनर कम कन्डकटर

रु0 407 प्रतिदिन
रु. 12200 प्रतिमास

4 पार्ट टाइम बुकिंग क्लर्क

रु0 261 प्रतिदिन
रु. 7834 प्रतिमास

टिप्पणी:-

1. समान और समरुप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरुप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या:
1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

4. दुकानें एवं वाणिज्यिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "दुकानों एवं वाणिज्य संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मचारियों का प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय,
उपलब्ध नहीं करवाई और संयुक्त आवास,
गई है सुविधा उपलब्ध करवाई
गई है

अकुशल :

हेल्पर / शॉप-ऐसिस्टेंट / पल्लेदार /
चौकीदार / चपड़ासी / स्वीपर / मसालाची
/ गेटमैन / वाटरमैन / क्लीनर / पैकर/
मजदूर / लेन्डर / अनलेन्डर / मैसंजर /
क्लाकरूम अटेंडेन्ट / पोर्टर/भिश्ती / बेलदार
/ फायरमैन /
पांडी / पोस्टरमैन / कोई अन्य कर्मकार जो
अकुशल कार्य कर रहा हो ।

रुपए 375 दैनिक

रुपए 348 दैनिक

रुपए 11250 मासिक

रुपए 10429 मासिक

अर्धकुशल :

हैडपोर्टर/ पैंटरीमैन / काफी टीमेकर /
चपातीमैन / सहायक-बेकर / गेट-कीपर

रुपए 396 दैनिक

रुपए 363 दैनिक

रुपए 11891 मासिक

रुपए 10900 मासिक

(सिनेमा) / सहायक लाइनमैन / सहायक
 -आपरेटर / वाइंडर एसीस्टेंट
 / बिल-कलैक्टर / कनवैसर / कुक / असिस्टेंट-
 हलवाई / बुक-बाइंडर / स्टीचर
 / रूलिंग-कटिंग औक्शनर / माली /
 सीवरमैन / होटल-गाइड
 / सहायक मिस्त्री / सहायक-फिटर /
 सहायक-टर्नर / सहायक / वैल्डर
 सहायक-इलैक्ट्रिशियन / सहायक / सेल्जमैन
 / सहायक-बारबर / धोबी / प्रैसमैन /
 बॉयलर-मैन / फिल्म-रिवाइंडर / वेटर /
 वेयरर / ऐसिसटेंट रेडियो मकैनिक / पेंटर
 / व्हाइट वॉशर / पकौड़ा और चना मेकर /
 कलर्क / (नॉन मेट्रिक / सहायक स्टोर
 कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर व सहायक-मशीनमैन /
 इनक्वायरी अटैन्डेन्ट / टेलीफोन अटैन्डेन्ट /
 'आई.टी.आई प्रमाण पत्र धारक ।

कुशल:

ब्लैक स्मिथ / टिनस्मिथ / वाचमेकर /
 रेडियो मकैनिक / कारपेंटर / पलम्बर /
 ड्राइवर / सहायक टेलर / कटर (टेलरिंग) /
 जनरल मकैनिक / हलवाई कुक / कन्फैक्शनर
 / बेकर / स्टुवार्ड / बटलर / फिटर /
 ड्राफ्टसमैन / टेलीफोन-ओपरेटर /
 कम्पाउंडर / गोल्डस्मिथ / शू-मेकर / शाल
 कारपेट वीविंग / कम्पोजिटर / सिनेमा
 आपरेटर / सेल्जमैन / ड्राइक्लीनर / ड्रायर
 / बारबर / रेगुलर मशीनमैन / मशीनिस्ट /
 वेल्डर / मोल्डर / कौशियर / क्लर्क
 (मैट्रिक) / मुनीम / रिसैपशनिस्ट / वेटर /
 वियरर / स्टोर-कीपर / हैड वेटर /
 हैड-वेयरर (वेस्टरन स्टाइल होटल) /
 लाइनमैन आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो
 इसी ट्रेड में कार्य कर रहे हों ।

रुपए 435 दैनिक रुपए 400 दैनिक
 रुपए 13062 मासिक रुपए 12006 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / लेखाकार / मुख्य रूपए 453 दैनिक रूपए 419 दैनिक
खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर / हैड-बेकर / रूपए 13592 मासिक रूपए 12580 मासिक
हैड-कन्फैक्शनर / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
/ सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

टिप्पणी:-

- 1, समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
- 2, शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
- 3, जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
- 4, यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
- 5, हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य वातावरण से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसे कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसको विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा ।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके ।

वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07-07-2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

5. वानिकी उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "वानिकी उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित दैनिक	न्यूनतम मजदूरी मासिक
अकुशल कर्मकार		
1 वृक्षों का गिराना	रुपए 375	रुपए 11250
1 लोपर (छांगी)	रुपए 396	रुपए 11891
2. फ़ैलर (गिरानी)	रुपए 383	रुपए 11505
2 लागिंग एण्ड साइंग टिम्बर पासिंग सहित		
1. ड्रैसर (पंचानी)	रुपए 383	रुपए 11505
2. सायर (चिरानी)	रुपए 471	रुपए 14139
3. ब्लैकस्मिथ	रुपए 443	रुपए 13276
3 ढुलान, ढेरी लगाना और शारीरिक श्रम द्वारा इमारती लकड़ी का हस्तांतरण:		
1. ढुलाई के लिए मजदूर।	रुपए 383	रुपए 11505
2. इमारती लकड़ी को लादनें और उतारने के लिए मजदूर।	रुपए 383	रुपए 11505
4 रज्जुमार्ग द्वारा इमारती लकड़ी की ढुलाई:		

	1. स्पैन मिस्त्री कम सुपरवाइजर	रुपए 471	रुपए 14139
	2. स्पैन मिस्त्री	रुपए 443	रुपए 13276
5	पक्की नाली, (वॉटर स्लाइड), पत्थरू (ड्राई स्लाइड), नाला बहान और दरिया बहान और (रिवर फलोटींग) द्वारा ढुलाई:		
	1. मोहरी वाला मिस्त्री	रुपए 505	रुपए 15148
	2. तारू	रुपए 485	रुपए 14539
	3. असिसटेंट मिस्त्री / (हेल्पर मिस्त्री)	रुपए 453	रुपए 13592
	4. दरियामैन	रुपए 485	रुपए 14539
	5. घालू	रुपए 412	रुपए 12366
	6. जमादार	रुपए 412	रुपए 12366
6	यत्रीकृत लोगिंग और लकड़ी की निकासी:		
	1. सर्वेयर	रुपए 474	रुपए 14224
	2. स्काई लाइन आपरेटर	रुपए 443	रुपए 13276
	3. ट्रक ड्राइवर	रुपए 415	रुपए 12453
	4. कम्प्रेसर ड्राइवर	रुपए 415	रुपए 12453
7	क्लैरिकल स्टाफ :		
	1. मैनेजर	रुपए 546	रुपए 16374
	2. एकाउन्टेंट	रुपए 421	रुपए 12644
	3. मुन्शी / टाइपिस्ट क्लर्क	रुपए 383	रुपए 11505
8	सॉ मिल वर्कर :		
	1. बेंड सॉ मिस्त्री	रुपए 443	रुपए 13276
	2. सुपरवाइजर	रुपए 438	रुपए 13149
	3. हैड मिस्त्री	रुपए 443	रुपए 13276
	4. बॉयलर ड्राइवर	रुपए 443	रुपए 13276
	5. एसिसटेंट मिस्त्री	रुपए 389	रुपए 11670
	6. पलेनर मिस्त्री	रुपए 389	रुपए 11670
	7. हेल्पर	रुपए 383	रुपए 11505
	8. कटर मैन	रुपए 383	रुपए 11505
9	कत्था निकासी :		
	1. फ़ैलर तथा चिप्पर	रुपए 383	रुपए 11505
	2. कत्था सुपरवाइजर / कत्था प्रौसेसर	रुपए 383	रुपए 11481

उच्च कुशल

बॉयलर एटैण्डन्ट (प्रथम श्रेणी)

टिप्पणी-:

- 1 समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
- 2 शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
- 3 जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
- 4 यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
- 5 हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

6. रसायन एवं रासायनिक उत्पाद

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "रसायन और रासायनिक उत्पादों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग	संशोधित न्यूनतम दरें
	दैनिक मासिक
अकुशल:	रुपए 375 रुपए 11250
अर्धकुशल:	दैनिक रुपए मासिक रुपए रुपए

एसिसटेंट इलैक्ट्रीशियन, एसिसटेंट फिटर, एसिसटेंट टर्नर, एसिसटेंट वैल्डर, एसिसटेंट मोल्डर, एसिसटेंट प्लांट ओपरेटर, एसिसटेंट ब्लैकस्मिथ, एसिसटेंट-कापरमैन, री-इरीगेशन एसिसटेंट, जमादार, ईस्ट मैन, ईस्ट-कल्टीवेटर, स्विच बोर्ड अटेंडेंट, वायरमैन, पोस्टलमैन, फायरमैन, आयलमैन, पम्पमैन ग्रेड-1, मशीन लेवलर, सलैक्टर, कटर-कम-मार्किट सैलर, अम्पुलर, हैगमैन, आई.टी.आई प्रमाण पत्र (सर्टिफिकेट) धारक।	387	11601
---	-----	-------

कुशल: दैनिक मासिक

साल्टमैन, इलैक्ट्रीशियन, फिटर, कापरमैन, टर्नर, मोल्डर, ब्लैकस्मिथ, प्लांट आपरेटर, मेसन, कारपेंटर, एसिस्टेंट-फोरमैन, हैड-जमादार, बॉयलर एटेंडेंट ग्रेड-II, वर्कशाप फोरमैन, इलैक्ट्रीशियन फोरमैन, ईजन ड्राइवर, ड्राफ्टसमैन, एसिस्टेंट-कैमिस्ट, मशीनमैन, कैशियर/ क्लर्क (मैट्रिकुलेट), सेल्ज मैन, रिसेप्शनिस्ट, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर आई0टी0आई0 प्रमाण (सर्टिफिकेट) धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत हैं ।

दैनिक मासिक

उच्च-कुशल:

बॉयलर अटेंडेंट (प्रथम श्रेणी), ओवर सीयर, हैड फोरमैन ।

रूपए रूपए
518 15530

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ाव लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है । अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।

- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

7. इंजीनियरिंग उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "इंजीनियरिंग उद्योग" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दैनिक दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.5.2023 को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे 01-04-2023 से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
अकुशल	375	11250
अर्धकुशल:		
टेपर ग्रेड- III, टर्नर ग्रेड- III, ड्रिलर ग्रेड- III, रोमर ग्रेड- III, शेयर मैन ग्रेड- III, मशीनमैन, मशीनिस्ट/ आपरेटर ग्रेड- III, ब्रजर ग्रेड- III, हैड स्पीनिंग बाइंडर/ लाइनर ग्रेड- III, प्रैस आपरेटर ग्रेड- III, स्प्रे पेंटर ग्रेड- III, ट्रांसफर फिक्सर ग्रेड- III, असैम्बलर ग्रेड- III, कोबलर, रबर रोजिन कटर, टेलर ग्रेड- III, मैटिरियल चैकर, फ्रेम फिटर, नम्बरिंग मैन, फ्रेम सैंडर, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- III, मोपर ग्रेड- III, ग्राइंडर ग्रेड- III, पिकलर, पालिशमैन, बूफरमैन, हैड-मकैनिक, आपरेटर ग्रेड- III, थ्रैड/ रोलर आपरेटर ग्रेड- III, बुक स्क्यू मशीन आपरेटर ग्रेड- III, फीडर ग्रेड- III, डाइमेकर ग्रेड- III, वैल्डर ग्रेड- III, टिनस्मिथ ग्रेड- III, पाइपरीडर, हेमरमेन ग्रेड- III, इलैक्ट्रीक लाईनमैन ग्रेड- III, बाउचर इन्सपैक्टर ग्रेड- III, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड III, ऑयलमैन।	दैनिक रूपए 387	मासिक रूपए 11601
कुशल:		
टेपर ग्रेड- II, टर्नर ग्रेड- II, ड्रिलर ग्रेड- II, शेपर ग्रेड- II, शेपर मैन ग्रेड- II,	दैनिक	मासिक

स्लाटरमैन ग्रेड- II, मशीनिस्ट/ ऑपरेटर/ब्रजर ग्रेड-II,लाइनर ग्रेड-II,स्प्रे पेन्टर ग्रेड-II, ट्रांसफर मिकसर ग्रेड-II, प्रैस ऑपरेटर ग्रेड-II, असैम्बलर ग्रेड-II,टेलर ग्रेड-II,इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड-II, मोपर ग्रेड-II,ग्राइडर ग्रेड-II, हैडमशीन ऑपरेटर ग्रेड-II,थ्रैड और रोलर मशीन आपरेटर ग्रेड-II,बुक स्क्रू मशीन ऑपरेटर ग्रेड-II, गोल्ड ड्रा मशीन ऑपरेटर ग्रेड-II, फिटर ग्रेड-II, कारपेंटर /पैटर्न मेकर ग्रेड-II, डार्डमेकर ग्रेड -II, साइस्टर ग्रेड-II, वैल्डर ग्रेड-II, टिनस्मिथ ग्रेड-II, हैमरमैन ग्रेड-II, ब्लैकस्मिथ ग्रेड-II, टूलसैटर ग्रेड-II, इलैक्ट्रिकल लाइनमैन ग्रेड-II, इलेक्ट्रिशियन ग्रेड-II, आरमैचर वाईडर और कॉईल वाईडर ग्रेड-II, केबल ज्वाइंटर ग्रेड-II, वाऊचर इंस्पैक्टर ग्रेड-II, लिस्टर डीजल इंजन ड्राइवर ग्रेड-II, मोल्डर ग्रेड-II,सुपरवाईजर आई0टी0 आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।	रूपए	रूपए
	435	13062

उच्च-कुशल:-

टर्नर ग्रेड- I,ग्राइडिंग मशीन आपरेटर ग्रेड- I, शेपर मैन ग्रेड- I,सलाटरमैन ग्रेड- I, मिलर ग्रेड- I, इलैक्ट्रोप्लेटर ग्रेड- I, गोल्ड ड्रॉ मशीन आपरेटर ग्रेड- I,फिटर ग्रेड- I, कारपेंटर/पैटर्न मेकर ग्रेड- I,डार्डमेकर ग्रेड- I,एन्ग्रेवर ग्रेड- I, ब्लैकस्मिथ ग्रेड- I,डार्डसैटर ग्रेड- I,टूल सैटर ग्रेड- I,इलैक्ट्रिशियन ग्रेड- I।	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
	518	15530

क्लेरिकल स्टाफ:

	दैनिक रूपए	मासिक रूपए
कौशियर (मैट्रिकुलेट) क्लर्क, सेल्जमैन, टाइपिस्ट, स्टोरकीपर।	402	12074

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहां मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (1) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

8.चाय बागान (टी प्लांटेशन)

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "चाय बागान (टी प्लांटेशन) " के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल पुर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के वर्ग

संशोधित मजदूरी

न्यूनतम

चाय बागान में फील्ड कर्मकार पौधारोपण,उखाडनें, स्प्रे करने, खाद देने, छायावरण (शेड लापिंग) के लिए, निराई, कांट -छांट करने, गुडाई करने, तुडाई आदि के कार्य में अकुशल कर्मकार के नाम से ज्ञात नियोजित।	रूपए 375 दैनिक	रूपए 11250 मासिक
---	--------------------------	-------------------------------

ए-ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 12 किलोग्राम से अधिक चाय पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **27** रूपए प्रतिकिलो, अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

बी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाला 13 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है, तो उसे **21** रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे।

सी ग्रेड पत्तियां—यदि पत्तियों का तुडान करने वाले प्रतिदिन 16 किलोग्राम से अधिक चाय की पत्तियां तोड़ता है/तोड़ती है तो उसे **16** रूपए प्रतिकिलो अतिरिक्त प्रोत्साहन के रूप में मिलेंगे पत्तियां तोड़ने के लिए नियोजित पीस रेट कर्मकारों को कमशः चाय पत्तियों के -'ए', 'बी व 'सी' ग्रेड के लिए **27** रूपए, **21** रूपए और **16** रूपए प्रति किलो की दर से मिलेंगे।

अर्धकुशल :

चाय कारखाने और चाय पौधरोपण में लगाए गए कर्मकारों को **381** रूपए प्रतिदिन, **11441** रूपए (मासिक) प्रतिमास मिलेंगे ।

कारखाना :

इसमें लिफ्ट मजदूर, (पत्तियों को सुखाने वाला), निस्तेज मजदूर, रैलिंग रूम वर्कर, शिपिंग मजदूर, फर्मेटिंग रूम कर्मकार, टी ब्याएज, साटर्ज, टी-मेकर, टाइम कीपर तथा कैरियर (झाली) शामिल हैं ।

रूपए **375** दैनिक और
रूपए **11250** मासिक

प्लांटेशन :

क्लीनर, असिस्टेंट क्लीनर, बगीचा असिस्टेंट, मोहरीज इत्यादि, जो फील्ड वर्क का रिकार्ड रखते हैं तथा इसमें स्वीपर, माली तथा मेट भी शामिल होंगे ।

रूपए **375** रूपए दैनिक
रूपए **11250** मासिक

क्लैरिकल और नॉन-टेकनिकल सुपरवाइजरी स्टाफ

1. लेखाकार रूपए **573** प्रतिदिन रूपए **17197** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
2. लिपिक रूपए **435** प्रतिदिन रूपए **13062** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त आवास ।
3. मुन्शी रूपए **456** प्रतिदिन रूपए **13690** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधाएं जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।
4. चपरासी / चौकीदार / चौधरी रूपए **381** प्रतिदिन रूपए **11441** प्रतिमास, इसके अतिरिक्त मुफ्त प्रसुविधा जो लिपिक को अनुज्ञेय हैं ।

	दैनिक	मासिक
5. कम्पाउन्डर	रूपए 531	रूपए 15930
6. ड्राइवर (जीप / कार / ट्रैक्टर)	रूपए 476	रूपए 14288
7. मकैनिक	रूपए 535	रूपए 16059
8. असिस्टेंट मकैनिक	रूपए 474	रूपए 14224
9. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।	रूपए 535	रूपए 16059
10. इलैक्ट्रीशियन-कम-मकैनिक ग्रेड - ।।	रूपए 474	रूपए 14224

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।

3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

2023

9. कारखाना अधिनियम, 1948 की धारा-2 के खण्ड-ट में यथापरिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया सहित स्थापना ।

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "कारखाना अधिनियम, 1948" की धारा-2 के खण्ड (ट) में यथा परिभाषित विनिर्माण प्रक्रिया के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार	रूपए 375 प्रतिदिन या रूपए 11250 प्रतिमास
अर्ध-कुशल	रूपए 386 प्रतिदिन या रूपए 11601 प्रतिमास
कुशल और लिपिकीय कर्मचारिवृन्द(स्टाफ)	रूपए 435 प्रतिदिन या रूपए 13062 प्रतिमास
उच्च कुशल	रूपए 518 प्रतिदिन या रूपए 15530 प्रतिमास

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।

3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
3. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07-07-2023

10.होटल और रैस्टोरेंट

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "होटल और रैस्टोरेंट" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी ;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

संशोधित मजदूरी

कर्मकारों का प्रवर्ग

जहां कोई जहां खाना, चाय
प्रसुविधा और संयुक्त
उपलब्ध नहीं आवास की प्रसुविधा
करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई
है

1.

2.

3.

अकुशल:

रूपए

रूपए

हैल्पर / चौकीदार / चपरासी / स्वीपर / मसालची
/ गेटमैन / वाटरमैन / मसेंजर / क्लैकरूम
अटेंडेंट / पोटर / भिश्ती / बेलदार / फायरमैन
/ पांडी / पोस्टर मैन कोई अन्य कामकार जो
अकुशल श्रेणी का कार्य करता हो ।

रूपए 375 दैनिक

रूपए 348 दैनिक

रूपए 11250

रूपए 10429

मासिक

मासिक

अर्धकुशल कर्मकार

पैट्रीमैन / कॉफी-टी मेकर / चपातीमैन / सहायक
बेकर / कुक / सहायक हलवाई / बुक बांडर /
स्टिचर / रूलिंग कटिंग / ऑक्शनर / माली /
होटल गाइड / असिस्टेंट मिस्त्री / असिस्टेंट फिटर

रूपए 396 दैनिक

रूपए 364 दैनिक

रूपए 11890

रूपए 10932

मासिक

मासिक

/ सीवरमैन / असिस्टेंट टर्नर / असिस्टेंट
 वैल्डर / असिस्टेंट इलैक्ट्रीशियन / असिस्टेंट
 सेल्जमैन / असिस्टेंट वार्बर / धोबी / प्रैसमैन /
 बॉयलरमैन / फिल्म रिवाइंडर / वाटरवेयरर / असिस्टेंट
 रेडियो मकैनिक / पेंटर / व्हाइट वॉशर / पकौडा और
 चना मेकर / क्लर्क (नॉनमैट्रिक) / असिस्टेंट स्टोर
 कीपर / डिस्ट्रीब्यूटर और, असिस्टेंट मशीनमैन /
 इनक्वायरी एटैन्डेन्ट / टेलीफोन एटैन्डेन्ट /
 आई0टी0आई0 प्रमाण पत्र धारक, जो अन्य ट्रेड में
 कार्यरत है ।

कुशल कर्मकार:

ड्राइवर / हलवाई / कुक / कन्फैक्शनर /
 बेकर / स्टीवार्ड / बटलर / ड्राफ्टसमैन /
 टेलीफोन ऑपरेटर / रिसैपशनिस्ट / वेटर /
 बियरर / स्टोर कीपर / हैड वेटर / हैड
 वीयरर (वेस्टर्न स्टाइल होटल) आई0टी0आई0
 प्रमाण पत्र धारक जो उसी ट्रेड में कार्यरत है ।

रूपए

रूपए

रूपए 435 दैनिक
 रू० 13062 मासिक

रूपए 400 दैनिक
 रू. 12006 मासिक

उच्च-कुशल:

स्टोर कीपर / क्लर्क (ग्रेजुएट) / अकाउंटेंट
 / हैड खजानची / हैड-कुक / हैड-बटलर
 / हैड-बेकर / हैड-कन्फैक्शनर
 / हैड-मकैनिक / इलैक्ट्रीशियन / फोरमैन
 / सुपरवाइजर / टेलर / कटर (टेलरिंग) ।

रूपए

रूपए

रू. 453 दैनिक
 रू० 13592 मासिक

रू. 419 दैनिक
 रू.12580 मासिक

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),

हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07-07-2023

1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।

2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।

3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।

5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।

- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4 ।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश ।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या:
1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

11. निजी शैक्षणिक संस्थान

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "निजी शैक्षणिक संस्थानों" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे **01-04-2023** से लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा 5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपरोक्त वर्णित अनुसूचित नियोजन में कार्यरत कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकशल कर्मकार	रुपए 375 प्रतिदिन या रुपए 11250 प्रतिमाह
अर्ध-कुशल	रुपए 396 प्रतिदिन या रुपए 11891 प्रतिमाह
कुशल	रुपए 435 प्रतिदिन या रुपए 13062 प्रतिमाह
उच्च कुशल	रुपए 453 प्रतिदिन या रुपए 13592 प्रतिमाह

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित हीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।

4. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:—

- (i) **अकुशल:**— अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं हैं किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

12. हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "हाइड्रो विद्युत परियोजनाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

(1) अकुशल कर्मकार

न्यूनतम

मजदूरी

दैनिक

मासिक

चपरासी, पम्प ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर का सहायक, पम्प अटैन्डेन्ट, जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर का सहायक, प्लांट ऑपरेटर का सहायक, एक्सकवेटर ऑपरेटर का सहायक, कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर का सहायक, लोडर ऑपरेटर का सहायक, टेमरॉक ऑपरेटर का सहायक, मैकेनिक का सहायक, टरनर का सहायक, इलैक्ट्रीशियन का सहायक, ओटो इलैक्ट्रीशियन का सहायक, वेल्डर का सहायक, फिटर का सहायक, कारपेन्टर का सहायक, भारी मोटर यान चालक का सहायक, खलासी का सहायक, कम्प्रेसर अटैन्डेन्ट, जनरेटर अटैन्डेन्ट, टीएम अटैन्डेन्ट, कन्क्रीट मिक्चर प्लांट ऑपरेटर का

₹.375

₹.11250

सहायक, फायर मैन का सहायक, स्टोन ड्रेसर का सहायक, हेड वॉच मैन का सहायक, लेबोरेट्री असिस्टेन्ट का सहायक, गेज रीडर का सहायक, टाईम कीपर का सहायक, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर का सहायक, जनरेटर ऑपरेटर का सहायक, वायरलेस ऑपरेटर का सहायक, इंजन फिटर का सहायक, डीजल इंजन फिटर का सहायक, पाईप फिटर का सहायक, पुजारी का सहायक, क्लीनर –कम–बेलदार, वॉशर मैन, वाशर मेड, ऑफिस बॉय, कले क्लीनर, सहायक बूमर, ऑटोमोबाईल फिटर का सहायक, मसालची, एअर कंडीशनिंग प्लांट सहायक, सुपरवाइजर का सहायक, मैस सहायक, सफाई कर्मचारी ।

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

कनिष्ठ पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीट पम्प ऑपरेटर, कनिष्ठ रु.398 रु. 11950
जेडब्ल्यूआर क्रेन ऑपरेटर, कनिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ नोजलमैन, कनिष्ठ एक्सकवेटर ऑपरेटर, कनिष्ठ कन्क्रीटिंग प्लांट ऑपरेटर, कनिष्ठ लोडर ऑपरेटर, कनिष्ठ टेमरॉक ऑपरेटर, कनिष्ठ मैकेनिक, कनिष्ठ ओटो इलैक्ट्रीशियन, कनिष्ठ वेल्डर, कनिष्ठ फिटर, कनिष्ठ टायर फिटर, कनिष्ठ पेन्टर, कनिष्ठ पलम्बर, कनिष्ठ डेन्टर, कनिष्ठ कारपेन्टर, सिक्वोरिटी गार्ड, खलासी (तीन वर्ष का अनुभव) कनिष्ठ कम्प्रेसर अटैन्डेण्ट, जनरेटर अटैन्डेण्ट, लोकोमोटिव अटैन्डेण्ट, कन्क्रीट मिक्चर अटैन्डेण्ट, सहायक फायर मैन, स्टोन ड्रेसर, लेबोरेट्री सहायक, गेज रीडर, टाईम कीपर, डीजल जनरेटर सेट ऑपरेटर, जनरेटर ऑपरेटर, वायरलेस ऑपरेटर, कनिष्ठ डीजल इंजन फिटर, कनिष्ठ पाईप फिटर, दूरभाष अटैन्डेण्ट, सहायक सर्वेयर, कार्यालय अटैन्डेण्ट, कनिष्ठ ऑयलर, कनिष्ठ ड्रिलर, कनिष्ठ जेसीबी ऑपरेटर, कनिष्ठ स्क्रैपर, पुजारी, सहायक स्टोर कीपर, सहायक स्टोर मुन्शी, कम्प्लेंट अटैन्डेण्ट, कनिष्ठ इलैक्ट्रीशियन, माली ।

कुशल कर्मकार :-

डोजर ऑपरेटर, ग्रेडर ऑपरेटर, लोडर ऑपरेटर, बैचिंग प्लांट रु.435 रु.13062
ऑपरेटर, क्रशिंग ऑपरेटर, एक्सकवेटर ऑपरेटर, सीएमटी क्रेन ऑपरेटर, 26 टन डम्पर ऑपरेटर, प्लांट ऑपरेटर, गैन्ट्री ऑपरेटर, जेसीबी ऑपरेटर, लोकोमोटिव ऑपरेटर, टेमरॉक/जम्बो ऑपरेटर,

मैकेनिक, टर्नर, वेल्डर, ड्रिलर, नोजल मैन,फिटर, स्टील फिक्सर, लोहार, ब्लास्टर, कारपेन्टर, ओटो इलैक्ट्रिशियन, पेन्टर, डेन्टर, मेसन, पलम्बर, बार बाइन्डर, टायर फिटर, सीएमटी ऑपरेटर, ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, मेरलो ऑपरेटर, वर्क इन्सपैक्टर, सुपरवाइजर,कैम्प इन्चार्ज, नॉन टेक्निकल सुपरवाइजर, (माईनिंग बलास्टिंग) चालक, मोबाईल क्रेन ऑपरेटर, बकोह ऑपरेटर, हाइड्रो क्रेन ऑपरेटर, सर्वेयर, स्क्रैप ऑपरेटर, बॉबकेट ऑपरेटर, स्कूप ऑपरेटर, गेरोटिंग पम्प ऑपरेटर, मोर्टार बाइंडर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, केशियर, स्टोर कीपर, लेखा क्लर्क, क्लर्क, कंप्यूटर ऑपरेटर, कुक, खलासी (पांच वर्ष से अधिक का अनुभव), और धोबी ।

उच्च- कुशल कर्मकार :-

वरिष्ठ क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ बेचिंग प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ ट्रेलर ऑपरेटर, वरिष्ठ डम्पर ऑपरेटर, टनल बोरिंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ हेवी अर्थ मूविंग मशीन ऑपरेटर, वरिष्ठ डोजर ऑपरेटर, वरिष्ठ लोडर ऑपरेटर, वरिष्ठ सीई प्लांट ऑपरेटर, वरिष्ठ कारपेन्टर, वरिष्ठ मकैनिक, वरिष्ठ ड्रिलर, वरिष्ठ लोहार, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ बार बाइन्डर, वरिष्ठ ओटो इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ फिटर, वरिष्ठ टायर फिटर, वरिष्ठ टर्नर, वरिष्ठ वेल्डर, वरिष्ठ डेन्टर, चालक (भारी परिवहन यान), टावर क्रेन ऑपरेटर, वरिष्ठ वेल्डर एक्सपर्ट, केबल ज्वाइंटर, वरिष्ठ ब्लास्टर, 40 टन डम्पर ऑपरेटर, वरिष्ठ जम्बो ऑपरेटर, फोरमैन, गनमैन, वरिष्ठ ए0सी0 प्लांट ऑपरेटर, वर्कशॉप मैकेनिक, कम्पाउंडर, कैमिकल एनालाईजर, लेबोरेटरी एसिसटेन्ट, फार्मासिस्ट, नर्स, स्टेनोग्राफर, एकाउटेन्ट, खलासी (आठ वर्ष से अधिक का अनुभव)।

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
 6. गैर जन-जातीयों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणाधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
 7. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो इलैक्ट्रिक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।
- मजदूरी की न्यूनतम दरों की गणना उक्त दिए गए उदहारण के अनुसार होगी।

1	2	3	4	5	6	7
(क)	अकुशल	375	94	469	94	563
(ख)	अर्ध-कुशल	398	100	498	100	597
(ग)	कुशल	435	109	544	109	653
(घ)	अत्यधिक-कुशल	517	129	647	129	777

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।

- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

13. फार्मास्यूटिकल उद्योग

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि " फार्मास्यूटिकल उद्योग "के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी ,जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

अकुशल कर्मकार

पैकिंग हैल्पर, मशीन हैल्पर, लेबोरेटरी हैल्पर, स्टोर हैल्पर, हाउस कीपिंग हैल्पर, चपरासी, ।

न्यूनतम

दैनिक

रूपए 375

मजदूरी

मासिक

रूपए 11250

अर्ध-कुशल कर्मकार :-

तकनीशियन (डी0 फार्मा), फिटर (आईटीआई), मेन्टिनेन्स (आईटीआई), पीडब्ल्यू ऑपरेटर, माली, सिक्योरिटी गार्ड, एसीसटेन्ट स्टोरकीपर, एसीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट ।

रूपए 387

रूपए 11601

कुशल कर्मकार :-

ऑफिसर (बी फार्मा), टैक्नीक्ल सुपरवाइजर (आईटीआई डिप्लोमा, डी फार्मा), ऑपरेटर, सिक्योरिटी सुपरवाइजर,

रूपए 435

रूपए 13062

इलैक्ट्रिशियन, स्टोर कीपर, एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क,
कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार :-

सेल्ज ऑफिसर, सेल्ज एग्जिक्यूटिव, सेल्ज प्रमोशन इम्पलाई, **रूपए 518** **रूपए 15530**

मैडिकल एण्ड सेल्ज रिप्रेसेन्टेटिव , बी0 फार्मा, एकाउन्टेन्ट,

बीएससी केमिस्ट, एमएससी केमिस्ट और स्टेनो ग्राफर ।

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी ।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी ।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी ।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी ।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है ।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा ।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

14. अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "अस्पताल/नर्सिंग होम और क्लिनिक" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ोतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और
उपलब्ध नहीं करवाई संयुक्त आवास सुविधा
गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हैल्पर, क्लीनर, चौकीदार, वॉच मैन्, चपरासी, रूम
ब्वाय, आफिस ब्वाय और मसालची।

रुपए 375 दैनिक

रुपए 348 दैनिक

रुपए 11250 मासिक

रुपए 10429 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

क्लिनिक अटेन्डेंट, असीसटेन्ट लैबोरेटरी तकनीशियन, गार्ड, स्वीपर, ऑपरेशन थियेटर असीसटेन्ट, असीसटेन्ट स्टोर कीपर, असीसटेन्ट स्टोर मुन्शी, कम्पलेन्ट अटेन्डेंट, वार्ड ब्वाय और वार्ड अटेन्डेंट (0 से 3 वर्ष अनुभव)	रूपए 396 दैनिक रूपए 11891 मासिक	रूपए 363 दैनिक रूपए 10900 मासिक
--	------------------------------------	------------------------------------

कुशल कर्मकार:-

रिसेप्शनिस्ट फार्मासिस्ट, कम्पाउण्डर, लेबोरेटरी तकनीशियन, एक्सरे तकनीशियन, एएनएम, ट्रेड दाई, इलैक्ट्रिशियन, रेडियो ग्राफर,ईसीजी आपरेटर, एक्सरे डार्करूम एसीसटेन्ट, ओवन आपरेटर, ऑक्सीजन प्लांट आपरेटर, हीटिंग प्लांट कन्ट्रोलर एसीसटेन्ट,चालक, सीएसएसडी एसीसटेन्ट, ऑपरेशन थियेटर तकनीशियन, आई रिफ्रैकशनिस्ट,स्टोर कीपर,एकाउन्टस क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर, कैशियर, फिटर, पलम्बर, सुपरवाइजर, कुक और धोबी वार्ड ब्वाय और वार्ड अटेन्डेंट (3 वर्ष से ऊपर अनुभव)।	रूपए 435 दैनिक रूपए 13062 मासिक	रूपए 400 दैनिक रूपए 12006 मासिक
--	------------------------------------	------------------------------------

उच्च कुशल कर्मकार:-

स्टाफ नर्स, सिक्योरिटी सुपरवाइजर, वरिष्ठ इलैक्ट्रिशियन, वरिष्ठ तकनीशियन, वरिष्ठ रेडियो ग्राफर, वरिष्ठ कम्पाउण्डर, एकाउन्टेन्ट, स्टेनोग्राफर ।	रु.453 दैनिक रु.13592 मासिक	रु.419 दैनिक रु.12580 मासिक
---	--------------------------------	--------------------------------

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अन्तर्गत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।

4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मचारी वह कर्मचारी है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार।

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।

- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या:
1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में ।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश ।
- 10.गार्ड फाईल ।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

15. घरेलू कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "घरेलू कर्मकार" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और अन्य कर्मकारों के प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा जहां भोजन, चाय और
उपलब्ध नहीं संयुक्त आवास सुविधा
करवाई गई है उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार:-

हेल्पर, आया, क्लीनर, मसालची, वॉच मैन और
वॉशर मैन ।

रूपए 375 दैनिक रूपए 317 दैनिक
रूपए 11250 मासिक रूपए 9514 मासिक

अर्ध- कुशल कर्मकार :-

सिक्योरिटी गार्ड और माली ।

रूपए 396 दैनिक रूपए 329 दैनिक
रूपए 11891 मासिक रूपए 9864 मासिक

कुशल कर्मकार :-

कुक और चालक

रूपए 435 दैनिक

रूपए 350 दैनिक

रूपए 13062 मासिक

रु.10508 मासिक

टिप्पणी:

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

(iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

16. सफाई कर्मचारी नियोजन

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सफाई कर्मचारी नियोजन" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को सन्देश्य न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

	न्यूनतम	मजदूरी
अकुशल कर्मकार:-	दैनिक	मासिक
स्वीपर/सफाई कर्मचारी, बेलदार और कार्टमैन।	रूपए 375	रूपए 11250
अर्ध- कुशल कर्मकार :-		
वर्क सुपरवाइजर, सेनेटरी जमादार, एसीस्टेन्ट स्टोर कीपर, एसीस्टेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्प्लेन्ट अटैन्डेंट।	रूपए 387	रूपए 11601

कुशल कर्मकार :-

चालक, मेसन, प्लम्बर, स्टोरकीपर, एकाउन्ट्स क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर।	रूपए 435	रूपए 13062
--	----------	------------

उच्च कुशल कर्मकार :-

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार

श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

17. सुरक्षा सेवाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "सुरक्षा सेवाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को 01-04-2023 से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख 09.05.2023 को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख 01-04-2023 को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख 01-04-2023 से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

	दैनिक	मासिक
अकुशल कर्मकार:-		
हेल्पर और वॉच मैन ।	रुपए 375	रुपए 11250
अर्ध-कुशल कर्मकार:-		
सिक्थोरिटी गार्ड, एसिसटैन्ट स्टोरकीपर, एसिसटैन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	रुपए 387	रुपए 11601
कुशल कर्मकार :-		
सिक्थोरिटी सुपरवाइजर, हेड वॉचमैन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रुपए 435	रुपए 13062
उच्च कुशल कर्मकार :-		
सिक्थोरिटी ऑफिसर , सिक्थोरिटी मैनेजर, स्टेनो ग्राफर और अकाउन्टेन्ट टिप्पणी:-	रुपए 518	रुपए 15530

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी ।

2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
 3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
 4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
 5. सुरंगों के अन्दर कार्यरत कर्मकारों को मजदूरी की न्यूनतम दर में बीस प्रतिशत अधिक बढ़ौतरी अनुदेय होगी।
 6. गैर जनजातियों क्षेत्रों में अवस्थित निर्माणधीन हाईड्रो विद्युत परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों के विभिन्न प्रवर्गों की मजदूरी न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक बढ़ौतरी लागू होगी।
 7. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी। जनजातीय क्षेत्रों में निर्माणाधीन हाईड्रो-इलैक्ट्रीक परियोजनाओं में कार्यरत कर्मकारों की दशा में अतिरिक्त दस प्रतिशत की बढ़ौतरी लागू होगी।
- अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-**

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

(iv) उच्च-कुशल: उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

18. मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "मन्दिर और धार्मिक स्थान / धर्मशालाएं" के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) के खण्ड (क) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

कर्मकारों के प्रवर्ग

जहां कोई प्रसुविधा उपलब्ध नहीं करवाई गई है

जहां भोजन, चाय और संयुक्त आवास सुविधा उपलब्ध करवाई गई है

अकुशल कर्मकार :-

चपरासी, मसालची, ऑफिस ब्वाय और बेलदार ।

रूपए 375 दैनिक

रूपए 348 दैनिक

रूपए 11250 मासिक

रूपए 10429 मासिक

अर्ध-कुशल कर्मकार :

चपाती मैन, स्वीपर, रूम ब्वाय, कनिष्ठ गेस्ट अटेन्डेन्ट, टेम्पल अटेन्डेन्ट, भोग रूम अटेन्डेन्ट, हॉल अटेन्डेन्ट, सेवादार, सिक्योरिटी गार्ड, माली, एसिसटेन्ट स्टोरकीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी और कम्पलेन्ट अटेन्डेन्ट ।

रूपए 396 दैनिक

रूपए 363 दैनिक

रूपए 11891 मासिक

रूपए 10900 मासिक

कुशल कर्मकार:-

वरिष्ठ गेस्ट अटेन्डेंट, रिसेप्शनिस्ट, पुजारी, पंडित, रूपए 435 दैनिक रूपए 400 दैनिक
कुक, मौलवी, ग्रन्थी, पादरी, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स रूपए 13062 मासिक रूपए 12006 मासिक
क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर
और कैशियर ।

उच्च कुशल कर्मकार:-

सुपरवाइजर, सुपरिन्टेंडेंट, रागी, बजन्त्री, भजन रूपए 453 दैनिक रूपए 419 दैनिक
गायक, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट, रूपए 13592 मासिक रूपए 12580 मासिक

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियमसंख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनूसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर से पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी की लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल की परिभाषा इस प्रकार होगी:-

- (i) **अकुशल**:- अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल**: अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निर्वहन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।

- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।
- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।

आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)

सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 07.07.2023

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
- 9 समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)

अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)

हिमाचल प्रदेश सरकार
श्रम एवं रोजगार विभाग
अधिसूचना

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II

तारीख: शिमला-2

07.07.2023

19. टोल टेक्स बैरिअरों में कार्यरत कर्मकार

हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल की यह राय है कि "टोल टेक्स बैरिअरों" में कार्यरत कर्मकारों के अनुसूचित नियोजन के अन्तर्गत अकुशल और कर्मकारों के अन्य प्रवर्गों की बाबत मजदूरी की न्यूनतम दरों को **01-04-2023** से संशोधित किया जाए;

और न्यूनतम मजदूरी अधिनियम, 1948 (1948 का अधिनियम संख्यांक 11) की धारा 5 की उपधारा (1) के खण्ड (क) के उपबन्धों के अनुसार, अधिसूचना संख्या श्रम(ए)4-2/2018-पी-II तारीख 24.04.2023 द्वारा, एक न्यूनतम मजदूरी सलाहकार समिति गठित की गई थी;

और उक्त समिति की बैठक तारीख **09.05.2023** को हुई थी, जिसमें समस्त उन्नीस अनुसूचित नियोजनों में कर्मकारों के समस्त प्रवर्गों को संदेय न्यूनतम मजदूरी में बढ़ौतरी को अनुमोदित किया गया था तथा इसे तारीख **01-04-2023** को लागू करने की सिफारिश की गई थी;

अतः हिमाचल प्रदेश के राज्यपाल, पूर्वोक्त अधिनियम की धारा-5 की उपधारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उक्त वर्णित अनुसूचित कर्मकारों की न्यूनतम मजदूरी को तारीख **01-04-2023** से निम्न प्रकार से संशोधित करते हैं:-

अकुशल कर्मकार:- चपरासी, ऑफिस ब्वाय और मसालची ।	न्यूनतम दैनिक रूपए 375	मजदूरी मासिक रूपए 11250
अर्ध-कुशल कर्मकार :- हैल्पर कुक, कैश कलेक्टर, एसिसटेन्ट स्टोर कीपर, एसिसटेन्ट स्टोर मुन्शी, सिक्योरिटी गार्ड और कम्पलेन्ट अटैन्डेंट ।	रूपए 387 प्रतिदिन	रूपए 11601 मासिक
कुशल कर्मकार :- इलैक्ट्रिशियन, स्टोरकीपर, अकाउन्ट्स क्लर्क, क्लर्क, कम्प्यूटर ऑपरेटर, डाटा एन्ट्री ऑपरेटर और कैशियर ।	रूपए 435 प्रतिदिन	रूपए 13062 प्रतिमाह
उच्च कुशल कर्मकार :- सुपरवाइजर, सुपरिन्टेन्डेंट, स्टेनोग्राफर और अकाउन्टेन्ट ।	रूपए 518 प्रतिदिन	रूपए 15530 प्रतिमाह

टिप्पणी:-

1. समान के और समरूप प्रकृति के कार्य के लिए पुरुष या महिला और व्यस्क या अव्यस्क की न्यूनतम मजदूरी में कोई भिन्नता नहीं होगी।
2. शिक्षुओं की मजदूरी, शिक्षु अधिनियम, 1961(1961 का अधिनियम संख्यांक 52) के अर्न्तगत विनियमित की जाएगी।
3. जहाँ किसी वर्गीकृत कार्य को मात्रानुपाती काम (पीस वर्क) के आधार पर किया गया हो वहाँ मजदूरी उस प्रवर्ग के लिए विहित समय दर से कम नहीं होगी।
4. यदि अनुसूचित नियोजन में, नियोजित कर्मकारों के किसी प्रवर्ग को विनिर्दिष्ट रूप से वर्णित नहीं किया गया है, तो कर्मकारों के ऐसे प्रवर्ग को उसी प्रकार की कुशलता रखने वाले समरूप प्रवर्ग हेतु नियत मजदूरी की न्यूनतम दर से कम मजदूरी संदत्त नहीं की जाएगी।
5. हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जनजातीय क्षेत्रों में मजदूरी की न्यूनतम दर में पच्चीस प्रतिशत से अधिक की बढ़ौतरी लागू होगी।

अकुशल/अर्ध-कुशल/कुशल/उच्च-कुशल कर्मकार की परिभाषा निम्नलिखित होगी:-

- (i) **अकुशल:-** अकुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो ऐसे कार्य करता है जिनमें सामान्य कर्तव्यों का अनुपालन अन्तर्वलित है, जिसमें कम अनुभव अपेक्षित है या यद्यपि उप-जीविकाजन्य परिस्थितियों से परिचित होना आवश्यक है परन्तु स्वतन्त्र निर्णय या पूर्व अनुभव अपेक्षित नहीं है। अतः उसके कार्य में शारीरिक परिश्रम (प्रयास) के अलावा उसे विभिन्न वस्तुओं या माल की विविधता से भी परिचित होना अपेक्षित है।
- (ii) **अर्ध-कुशल:** अर्ध-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है, जो सामान्यतः रोजमर्रा के निश्चित स्वरूप के कार्य करता हो जिनमें उससे निर्णय, कुशलता की मुख्य अपेक्षा नहीं है किन्तु उसे सौंपे गए कर्तव्यों या उसके साक्षेप अल्प (सीमित) कार्यों के उचित निवर्हन की उससे अपेक्षा है और जहाँ महत्वपूर्ण निर्णय अन्य द्वारा लिए जाते हैं। इस प्रकार उसका कार्य क्षेत्र सीमित परिधि के रोजमर्रा के कार्यों को करने तक ही सीमित रहेगा।
- (iii) **कुशल:** कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो विचारणीय स्वतन्त्र निर्णय का प्रयोग कर के दक्षतापूर्ण कार्य करने में सक्षम हो और अपने कर्तव्यों का जिम्मेदारी से पालन कर सके। वह व्यवसाय (ट्रेड), शिल्प या उद्योग, जिसमें वह नियोजित किया गया हो, का पूर्ण एवं विस्तृत ज्ञान रखता हो।

- (iv) **उच्च-कुशल:** उच्च-कुशल कर्मकार वह कर्मकार है जो कार्य को दक्षतापूर्ण करने में सक्षम हो और जो कुशल कर्मकारों के कार्य का दक्षतापूर्ण पर्यवेक्षण कर सके।
आदेश द्वारा,

(अक्षय सूद)
सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार

संख्या: श्रम (ए)4-2/2018-पार्ट-II तारीख: शिमला-2 **07.07.2023**

- 1 समस्त प्रशासनिक सचिव हिमाचल प्रदेश सरकार शिमला।
- 2 अतिरिक्त एल.आर एवं अतिरिक्त सचिव (विधि) हिमाचल प्रदेश सरकार।
- 3 प्रधान निजी सचिव माननीय मुख्य मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 4 वरिष्ठ निजी सचिव माननीय श्रम एवं रोजगार मन्त्री हिमाचल प्रदेश।
- 5 वरिष्ठ विशेष निजी सचिव मुख्य सचिव हिमाचल प्रदेश।
- 6 निदेशक लेबर ब्यूरो भारत सरकार शिमला-4।
- 7 समस्त विभागाध्यक्ष हिमाचल प्रदेश।
- 8 श्रमायुक्त एवं निदेशक रोजगार हिमाचल प्रदेश-171001 को उनके पत्र संख्या: 1-16/78(Lab.)M.W./8/07-Vol.III तारीख 09-06-2023 के संदर्भ में।
9. समस्त उपायुक्त हिमाचल प्रदेश।
- 10.गार्ड फाईल।

(दिनेश कुमार गुप्ता)
अवर सचिव (श्रम एवं रोजगार),
हिमाचल प्रदेश सरकार
(Ph.No.0177-2880376)